

## कार्य मंत्रणा समिति

(सत्रहवीं लोक सभा)

### पन्द्रहवां प्रतिवेदन

(19.03.2020 को प्रस्तुत)

कार्य मंत्रणा समिति की बैठक गुरुवार, 19 मार्च, 2020 को हुई।

2. समिति ने कार्य की निम्नलिखित मदों के लिए प्रत्येक के सामने दर्शाए गए समय के नियतन की सिफारिश की है:—

(1) महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2020 (विचार तथा पारित करना)	2 घंटे
(2) कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2020 (विचार तथा पारित करना)	4 घंटे
(3) दि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (रेगुलेशन) विधेयक, 2020, इसके पुरःस्थापन के पश्चात्। (विचार तथा पारित करना)	2 घंटे
(4) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक, 2019, राज्य सभा द्वारा इसे पारित किए जाने के पश्चात्। (विचार तथा पारित करना)	2 घंटे
(5) नाशकजीवमार प्रबंध विधेयक, 2020, राज्य सभा द्वारा इसे पारित किए जाने के पश्चात्। (विचार तथा पारित करना)	4 घंटे

3. समिति ने यह सिफारिश भी की कि 23 और 30 मार्च, 2020 के लिए बैठकें पूर्वाह्न 11.00 बजे के बजाय अपराह्न 2.00 बजे शुरू होंगी। इन दिनों को प्रश्नकाल नहीं होगा।

नई दिल्ली;  
19 मार्च, 2020  
29 फाल्गुन, 1941 (शक)

ओम बिरला  
सभापति,  
कार्य मंत्रणा समिति।